न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 05 / 2025

वादीगण

1. गुलाबखां पुत्र भैरूखां
2. चान्दुखां पुत्र भैरूखां
3. दिलदार खान पुत्र भैरूखां
4. निजरूदीन पुत्र भैरूखां
5. बाबुखां पुत्र भैरूखां
6. सत्तारखां पुत्र भैरूखां तमाम जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गबरू खां पुत्र मांगू खां उर्फ मांगीलाल
2. भवंरी उर्फ बिस्मील्ला पुत्री मांगू खां उर्फ मांगीलाल
3. मोहम्मद सलीम पुत्र इब्राहीम खान
4. शोकीन खान पुत्र इब्राहीम खान तमाम जातियान तेली मुसलमान निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
5. बाबु खां पुत्र नवाव खां पति स्व. उमराव पुत्री मांगीलाल उर्फ मांगूखां
6. गनी मोहम्मद पुत्र बाबु खां
7. सफी मोहम्मद पुत्र बाबु खां
8. ताज मोहम्मद पुत्र बाबु खां
9. दीन मोहम्मद पुत्र बाबु खां
10. सिकन्दर पुत्र बाबु खां
11. मदीना पुत्री बाबु खां
12. काली पुत्री बाबु खां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0।
13. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति</u>:–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक – 18/12/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0 साण्डिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता सं0 24 खसरा नम्बर 1613 रकबा 2.6600 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 19.02.2025 को प्रतिवादीगण सं0 01 से 12 के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं दिनांक 08.05.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/1074 दिनांक 06.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार अधिवक्ता वादीगण द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली) राज.

अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 07.07.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 07.07.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा साण्डिया, प0ह0 साण्डिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता सं0 24 खसरा नम्बर 1613 रकबा 2.6600 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	गुलाब खान पुत्र भैरू खां कौम तेली सा. सोजत रोड़ खातेदार	1613/7 1613/8	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
2.	चान्दु खां पुत्र भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/1 1613/13	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
3.	दिलदार खान पुत्र भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/2 1613/12	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
4.	निजरूद्दीन पुत्र भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/3 1613/11	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
5.	बाबु खां पुत्र भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/5 1613/10	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
6.	सतार खां पुत्र भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/6 1613/9	0.0435 0.1705	बा0अ0 बा0अ0	
	योगः–	02	0.2140	–	1.28
7.	गुलाब खान 1/6 चान्दु खां 1/6 दिलदार खां 1/6 निजरूद्दीन 1/6 बाबु खां 1/6 सतार खान 1/6 पि0 भैरू खां कौम तेली सा0 सोजत रोड़ खातेदार	1613/4	0.0460	बा0अ0	0.30
	योगः–	01	0.0460	बा0अ0	0.30
8.	उमराव पुत्री मांगीलाल 1/12 भंवरी पुत्री मांगीलाल 1/12 गबरू खां पुत्र मांगीलाल 5/12 मोहम्मद सलीम 5/24 शौकीन खां 5/24 पि0 इब्राहीम खां सा0 देह खातेदार	1613	1.3300	बा0अ0	7.98

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

	वगैरा				
	योग	01	1.3300	बा0अ0	7.98

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.